FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

करम मुकदमा .... नं0 .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
04.06.2019	वादपत्र सरकार जरिये तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी के तहत हिस्से/खातेदारों कि घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया, जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश/परिपत्र कमांक/बीआर/एलआर/NLRMP/ एफ.126/पार्ट–2/10164–96 दिनांक 26.09.2017 के अनुसाार डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत हिस्से/ खातेदारों कि घोषणा हेतु दिये गये निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 कि धारा 88 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली आइन्दा वास्ते तलबी दिनांक 18.06.2019 को पेश हो।	अ.नि. जतुबाई अ.नि. जस्सालाल खेमराज
18.06.19	पत्रावली पेश हुई। सभी पक्षकार उपस्थित नही होने से आगामी पेशी दिनांक 27.06.19 को पेश हो।	
27.06.19	पत्रावली पेश हुई। भूमिधारी तहसीलदार व सभी पक्षकार उपस्थित हुए। उपस्थित पक्षकारो ने मौजा आमल्दा की आ.न. 566, 567, 574, 621 किता 4 रकबा 1.69 हैक्टे. मे सहखातेदारों के हिस्से दर्ज नही होने से आपसी सहमती से हिस्से बताए जो निम्न है। श्री देवीलाल दिनेशचंद्र पिता भेरूलाल माता कृष्णा ना.बा.स.प. माता कृष्णा हि०ब० 5/14 जस्सालाल श्रवणलाल कल्लुबाई पि० शंकर जत्तुबाई पत्नी स्व० शंकर हि०ब० 5/14 जुहारीलाल सुवा हंजा पि० देवा हि०ब० 2/7 सा. देह स्वा० रहन – बदस्तुर हमने सहखातेदारो द्वारा बताये गए उक्त हिस्से मजमे आम मे रखवा जिसके सही होने की पुष्टि की गई। सहमति स्वरूप	

Scanned by CamScanner

मौका पर्चा तैयार कर पक्षकारो के हस्ताक्षर कराये गए।

अत: खातेदारों की सहमती, रेकार्ड के आधार पर, तहसीलदार बेगूं की रिपोर्ट व माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के आदेश / परिपत्र क्रमांक / BR/LR/NLRMP/ F.126/पार्ट.2/10164-96 दिनांक 26.09.17 से दिये निर्देशानुसार उपरोक्तवर्णितानुसार हिस्से की घोषणा की जाती है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)
27/6/19

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 60/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

वादी

बनाम

1. देबीलाल पिता भेरूलाल नाबालिग स0प0 माता कृष्णा रेबारी
2. दिनेशचन्द्र पिता भेरूलाला नाबालिग स0प0 माता कृष्णा रेबारी
3. जस्सालाल पिता शंकर रेबारी
4. श्रवणलाल पिता शंकर रेबारी
5. कल्लुबाई पिता शंकर रेबारी
6. जतुबाई पत्नी स्व0 शंकर रेबारी
7. जुहारीलाल पिता देवा रेबारी
8. सुवा पिता देवा रेबारी
9. हंजा पिता देवा रेबारी

समस्त निवासियान आमलदा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज॰

प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार वादी
प्रतिवादीगण सं. 1 से 9

निर्णय दिनांक : 27.06.2019

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी. **DILRMP** के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के आदेश/परिपत्र/कमांक/ बीआर/ एलआर/एन.एल. आर.एम.पी./एफ–126/पार्ट–2/10164–96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली को कैम्प कोर्ट नंदवाई पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया,दिनांक 18.06.2019 को सभी काश्तकार उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली को आगामी पेशी 27.06.2019 को नियत की गई।

तहसीलदार बेगूँ के पत्र कमांक /एल.आर./2019/852 दिनांक 31.05.2019 से निवेदन किया कि मोजा आमलदा में खाता संख्या 79 विक्रम संवत् 2071–74 आराजी संख्या 566, 567, 574, 621 किता 4 रक़बा 1.69 हे0 वर्तमान में श्री देबीलाल दिनेशचन्द्र पिता भेरूलाल माता कृष्णा नाबालिग सरपस्त माता कृष्णा, जस्सालाल श्रवणलाल कल्लुबाई पिता शंकर, जतुबाई धर्मपत्नी स्व0 शंकर जुआरीलाल सुआ हंजा पिता देवा जाति रेबारी साकिन देह रहन बदस्तुर जमाबंदी के नाम दर्ज होकर हिस्से दर्ज नही है। सेटलमेंण्ट जमाबंदी में भी खातेदारान के हिस्से दर्ज नही हैं। अतः आर.टी.ए. 1955 की धारा 88 के तहत हिस्से की घोषणा की जाये अनुशंसा की गयी।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। मजमेआम कोर्ट में प्रतिवादीगण कम संख्या 3 व 6 उपस्थित हुये तथा रेकार्ड प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सेटलमेंट (2028) से पुर्व वाद वर्णित आराजी जो वर्तमान में शामलाति है, नगा गोपाल पिता जगरूप एवं जुहारी लाल सुवा हंजा पिता देवा रेबारी के नाम अलग अलग ,खाते में भी जिसे प्रतिवादी संख्या 3 के दादा नगा पिता जगरूप व घीसा पिता बाघा रेबारी द्वारा पंजिकृत बेचान से कय किया गया जिसका खाता रद्दोबदल सेटलमेंट के गत खसरा नम्बरों किता 7 रकबा 3.93 एकड में हिस्सा बराबर से केतागण के नाम हो गया था केतागण कि कयशुदा आराजी किता 7 रकबा 3.93 एकड़ जो हेक्टर में 1.58 हे0 रकबा बनता हैं। नवीन भू–प्रबन्ध में 1.10 हे0 खाता कायम किया गया जबकि शेष रकबा 0.48 हे0 वाद वर्णित आराजी में जोड दिया गया जो केतागण के नाम दर्ज होना था। नगा गोपाल पिता जगरूप रेबारी का सेटलमेंट सवत् (2028) से पुर्व 5.65 एकड जो 2.27 हे0 बनता है, रकबा था। भू–प्रबन्ध के हाल नम्बरो में रकबा 1.04 हे0 रकबा कायम किया एवं शेष रकबा 1.21 हे0 वाद वर्णित आराजी में सम्मिलित कर दिया गया। अतः वाद वर्णित आराजी में जुहारीलाल सुवा हंजा पिता देवा का नाम विलोपित किया जावे व रकबा 0.48 में केतागण का 1/2, 1/2 एवं 1.21 हे0 में नगा गोपाल पिता जगरूप का समस्त हिस्सा अनुसार हिस्से की घोषणा फरमावे।

रेकार्ड अवलोकन किया गया । सेटलमेंट रेकार्ड से पुर्व गत में जुहारीलाल सुवा हंजा पिता देवा रेबारी के नाम आराजी नं0 188, 190,192,203,208,209,213, किता 7 रकबा 3.93 एकड जो 1.58 हे0 बनता है, भूमि दर्ज होकर बेचान किये जाने से घीसा पिता बाघा नगा पिता जगरूप रेबारी साकिन देह के नाम दर्ज हैं तथा सेटलमेंट (2028) रेकार्ड में उक्त खाता से आराजी नम्बर 563,564,565,583,584, किता 5 रकबा 1.10 हे0 कायम हुये है जिसमें गत के मुकाबले 0.48 हे0 रकबा कम है इसी प्रकार नगा गोपाल पिता जगरूप रेबारी का सेटलमेंट पुर्व गत आरजी नं0 101/5, 189,191, 195, 196, 200, 201, (202,212) किता 8 रकबा 5.65 एकड जो 2.27 हे0 बनता हैं भूमि दर्ज रेकार्ड होकर सेटलमेंट में उक्त खाता नये आराजी नं0 576,577,580,581,622 किता 5 रकबा 1.04 हे0 बना है जिसमें 1.23 हे0 कमी रकबा है। रेकार्ड अनुसार उक्त दोनो खाते में से कमी रकबा को मिलाकर नगा गोपाल पिता जगरूप जुहारीलाल सुवा हंजा पिता देवा रेबारी सा0देह0 खातेदार आराजी नं0 566, 567, 574, 621, किता 4 रकबा 1.69 हे0 बना है जो नकल मिलान खसरा से स्पष्ट है। उक्त नये शामिल खाते में जुहारीलाल सुवा हंजा पिता देवा रेबारी का नाम शामिल कर दिया है। चुकि वाद हिस्से कि घोषणा से संबन्धित है इसलिए उपस्थित प्रतिवादीगण को जुहारीलाल सुवा हंजा पिता देवा रेबारी के बजाय केतागण नगा पिता जगरूप व घीसा पिता बाघा रेबारी का नाम दर्ज कराने हेतु अलग से घोषणात्मक वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। नगा गोपाल की विरासत व हकत्याग होने से खाता वर्तमान देवीलाल दिनेशचन्द्र पिता भेरूलाल माता कृष्णा व जस्सालाल श्रवणलाल कल्लुबाई पिता शंकर जतुबाई पत्नी स्व0 शंकर का नाम दर्ज हुआ है। इस बाबत मोके पर सजरा बनाया गया जो मजमेआम में जानकारी करने पर

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

सही बताया गया। सेटलमेंट से पुर्व दर्ज खातो में रकबा कम किया जाकर शामलाति नया खाता कायम किया गया जो किता 4 रकबा 1.69 हे0 वाद वर्णित आराजी का है अतः कमी रकबा के अनुपात अनुसार नगा गोपाल पिता जगरूप 5/7 जुआरीलाल सुवा हंजा पिता देवा 2/7 रेबारी हिस्से की घोषणा की जाकर खाता निम्नानुसार दर्ज किया जाना उचित है जो आमलदा खाता संख्या 79 संवत् 2071–74 है। हिस्से की घोषणा किया जाना हम न्यायसंगत मानते हुए वाद वादी अ.धा. 88 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 व सह धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। मोजा आमलदा में खाता संख्या 79 विक्रम संवत् 2071–74 आराजी संख्या 566, 567, 574, 621 किता 4 रकबा 1.69 हे0 भूमि में श्री देवीलाल दिनेशचन्द्र पिता भेरूलाल माता कृष्णा ना0 बा0 स0प0 माता कृष्णा हिस्सा बराबरा 5/14 जस्सा लाल श्रवणलाल कल्लुबाई पिता शंकर जतु बाई पत्नी स्व0 शंकर हिस्सा बराबर 5/14 जुहारीलाल सुवा हंजा पिता देवा हिस्सा बराबर 2/7 साकिन देह खातेदार रहन बदस्तुर रखते हुये राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को कोर्ट कैम्प नंदवाई पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

27/6/19

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
<u>न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगॅू जिला चितौडगढ़ (राज0)</u>

दावा संख्या : 60 / 2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगॅू तहसील बेगॅू जिला चितौडगढ़

वादी

बनाम

1. देबीलाल पिता भेरूलाल नाबालिग स0प0 माता कृष्णा रेबारी
2. दिनेशचन्द्र पिता भेरूलाला नाबालिग स0प0 माता कृष्णा रेबारी
3. जस्सालाल पिता शंकर रेबारी
4. श्रवणलाल पिता शंकर रेबारी
5. कल्लुबाई पिता शंकर रेबारी
6. जतुबाई पत्नी स्व0 शंकर रेबारी
7. जुहारीलाल पिता देवा रेबारी
8. सुवा पिता देवा रेबारी
9. हंजा पिता देवा रेबारी

समस्त निवासियान आमलदा तहसील बेगॅू जिला चित्तौड़गढ राज॰

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट में आज दिनांक 27.06.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगॅू के समक्ष कोर्ट कैम्प नंदवाई पर अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिकी निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर. एक्ट का स्वीकार किया जाता है। मोजा आमलदा में खाता संख्या 79 विक्रम संवत् 2071—74 आराजी संख्या 566, 567, 574, 621 किता 4 रकबा 1.69 हे0 भूमि में श्री देवीलाल दिनेशचन्द्र पिता भेरूलाल माता कृष्णा ना0 बा0 स0प0 माता कृष्णा हिस्सा बराबरा 5/14 जस्सा लाल श्रवणलाल कल्लुबाई पिता शंकर जतु बाई पत्नी स्व0 शंकर हिस्सा बराबर 5/14 जुहारीलाल सुवा हंजा पिता देवा हिस्सा बराबर 2/7 साकिन देह खातेदार रहन बदस्तुर रखते हुये राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अंतिम डिकी आज दिनांक 27.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

27/6/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगॅू जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगॅू को पालनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner